कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी17–18 दिनांक 31.08.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 176, वरिष्ठता क्रमांक 1236 (2013–14), श्रीमति विजयबाई, प्रधानाध्यापक रामावि–बहरोड, अलवर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति से राउमावि–खामोर, शाहपुरा, भीलवाडा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया जहां पर याचिकार्थी द्वारा दिनांक 08.09.17 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उक्त पदौन्नत कार्मिक द्वारा काउन्सलिंग के समय प्रदर्शित रिक्तियों में अपने गृह जिले अलवर में राआउमावि–मांजरीकला, नीमराना, राउमावि–नंगली बलाहिर, नीमराना, राउमावि–सांतो नीमराना, अलवर में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होते हुए भी काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने और विवशः होकर भीलवाडा जिले में पदस्थापन हेतु अपनी सहमति प्रदान करने से आहत होकर माननीय अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1743/2017 श्रीमति विजयबाई बनाम श्रीमान निदेशक दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2018 द्वारा अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी/संदर्भित प्रत्यर्थी विभाग को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देश/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 1 माह के भीतर नियमानुसार विचार कर विधि अनुसार एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनका पदस्थापन अलवर जिले के राआउमावि–रोडवाल, नीमराना, राआउमावि–रामसिंहपुरा, बहरोड, राआउमावि–हमींदपुर, बहरोड अथवा दिनांक 28.02.2018 को रिक्त राउमावि–रायसराना, अलवर में से प्रधानाचार्य के किसी एक रिक्त पद पर करने की परिवेदना की गई।

अपीलार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को पूर्व में काउन्सलिंग के समय महिला वर्ग का लाभ दिया जाकर ही वरिष्ठतानुसार उनकी काउन्सलिंग की गई थी जिसमें अपीलार्थी द्वारा सहमति पत्र के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत कर राउमावि–खामोर, शाहपुरा, भीलवाडा में पदस्थापन हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई थी। जहां तक याचिकार्थी के जिले के सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो शासन के पत्र क्रमांकः प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांकः 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को ही शामिल करने हेतु निर्देश प्राप्त हैं। उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से पदौन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या जो भी कम हो, के बराबर पदौन्नत प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है। इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। काउन्सलिंग प्रकिया में प्रशासनिक आवश्यकता एवं विभागीय हित को ध्यान में रखकर ही रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी **श्रीमति विजयबाई, प्रधानाचार्या राउमावि–खामोर, शाहपुरा, भीलवाडा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक: 15.03.18

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विजयबाई/अपील/1743/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा , राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा भीलवाडा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी

15.3.18
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)